

cashier babu
21-12-2020

मुख्य अभियंता-1 का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

पत्रांक:-II/प्र0-04-161/2020 4872 (अ.प.व.)

पटना दिनांक:-15/10/2020

विनय
21/12/2020

प्रेषक,

मुख्य अभियंता-1,
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, हरनौत।

विषय:-ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हरनौत के अधीन शीर्ष 3054 मरम्मत
योजनान्तर्गत कुल 08 (आठ) अदद पथों का समय-वृद्धि के संबंध में।

प्रसंग:-अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, नालन्दा का पत्रांक 1135
अनु0 दिनांक 19.09.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से प्राप्त शीर्ष 3054 मरम्मत योजनान्तर्गत कुल
08 (आठ) अदद पथों का निर्माण कार्य से संबंधित समय वृद्धि का प्रस्ताव अधीक्षण
अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, नालन्दा द्वारा अनुशंसा के साथ कार्यालय
में समर्पित किया गया है। प्राप्त समयवृद्धि प्रपत्र पूर्ण रूप से नहीं भरा हुआ है। अतः निर्देश
दिया जाता है कि समयवृद्धि हेतु प्रपत्र पूर्ण रूप से भर कर एवं कारण का साक्ष्य सहित
पुनः प्रस्ताव Online के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा
सके।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

21/10/20

मुख्य अभियंता-1
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, नालन्दा।

पत्रांक1135.21/9/20...../

नालन्दा/दिनांक 19.9.2020

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, नालन्दा।

सेवा में,

मुख्य अभियंता-1,
ग्रामीण कार्य विभाग,
पटना।

22 SEP 2020

3351

विषय :- शीर्ष-3054 योजनान्तर्गत (MR-N-19/Harnaut/01) एकरारनामा सं०-22/MBD/2019-20 योजनान्तर्गत कुल 08 (आठ) अद्द पथों की मरम्मत कार्य का समयवृद्धि का अभ्यावेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग :- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हरनौत का पत्रांक-1338 (अनु०) दिनांक-14.09.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि संवेदक श्री राम प्रसाद सिंह के द्वारा कराये गये शीर्ष- 3054 योजनान्तर्गत (1) हरनौत सकसोहरा रोड (एन०एच०-30ए) से अलीनगर (2) वेना मुबारकपुर रोड के पचौरा मधुकरी कोना से पचौरा ग्राम (3) चेरो-नगरनौसा पी०एम०जी०एस०वाई० पथ से हिरदन विगहा (4) जैतीपुर-हरनौत रोड (एन०एच०-30ए) से बेढ़ना (5) हरनौत सकसोहरा (एन०एच०-30ए) पथ से लघौरा ग्राम भाया मिरदाहाचक (6) नगरनौसा-चेरो पी०डब्ल्यू०डी० पथ से वेजापती से सिन्दुआरा ग्राम भाया छिड्डी जगतपुरा जीवनपुर (7) बोध नगर-सदलपुर आर०डब्ल्यू०डी० पथ से धिमोह ग्राम (8) ग्राम चेरन के आर० डब्ल्यू०डी० पथ से ग्राम डिहरा तक पथ निर्माण कार्य की अवधि विस्तार संबंधित आवेदन प्रपत्र एवं प्रासंगिक पत्र अनुशंसा के साथ कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हरनौत के द्वारा प्राप्त हुआ है।

अतः दिनांक 30.08.2021 तक अवधी विस्तार हेतु कार्यपालक अभियंता, हरनौत के अनुशंसा से सहमत होते हुए अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

अधीक्षण अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, नालन्दा।

जी उमेश
21.9.20

21/9/20

(51)

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हरनौत (नालन्दा)

पत्रांक 1338

हरनौत,

दिनांक 14/9/2020

प्रेषक -- कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हरनौत।

सेवा में,
अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, नालन्दा

विषय -- शीर्ष-3054 अतर्गत (MR-N-19/Harnaut/01) एकरारनामा संख्या-22/MBD/2019-20
योजनान्तर्गत कुल 08 (आठे) अदद पथों की मरम्मति कार्य का समयवृद्धि का अभ्यावेदन समर्पित
करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शीर्ष-3054 (MR) योजनान्तर्गत कुल 08 (आठे) अदद पथों

का विवरणी :-

क्र.सं.	प्रखण्ड	योजना का नाम
1	हरनौत	हरनौत सकसोहरा रोड (एन0एच-30ए) से अलीगंजर।
2	हरनौत	वेना मुबारकपुर रोड के पचौरा मधुकरी कोना से पचौरा ग्राम।
3	हरनौत	चेरो-नमरनौसा पी0एम0जी0एरा0वाई0 पथ से हिरदन विगहा।
4	हरनौत	जैतिपुर-हरनौत रोड (एन0एच-30ए) से वेदना।
5	हरनौत	हरनौत सकसोहरा (एन0एच-30ए) पथ से लघौरा ग्राम भाया गिरदाहाचक।
6	हरनौत	नगरनौसा-चेरो पी0डब्ल्यू0डी0 पथ से वेजापती से सिन्दुआरा ग्राम भाया छिड़डी, जगतपुर, जीवनपुर।
7	हरनौत	बोधनगर-संदलपुर आर0डब्ल्यू0डी0 पथ से विगाह ग्राम।
8	हरनौत	ग्राम चेरन के आर0डब्ल्यू0डी0 पथ से ग्राम डिहरा।

का मरम्मति कार्य, सवेदक श्री राम प्रसाद सिंह द्वारा किया जा रहा है। उक्त कार्य की एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि-27.03.2020 थी। परन्तु पुनरिक्षित प्राक्कलन एवं वर्षा के कारण पथ निर्माण कार्य ससमय पूर्ण नहीं हो सका। फलस्वरूप सवेदक द्वारा उक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु दिनांक-30.06.2021 तक समयवृद्धि का अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतः दिनांक 30.06.2021 तक समयवृद्धि की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है।

अनु0-

- (1) आवेदन एक अदद।
- (2) पथ का फोटो 13 अदद।
- (3) शपथ पत्र 1 अदद।
- (4) सवेदक द्वारा पुनरीक्षित प्राक्कलन का आवेदन।
- (5) कार्यपालक अभियन्ता द्वारा पुनरिक्षित प्राक्कलन की अनुशंसा की प्रति।
- (6) मुख्य अभियन्ता द्वारा पुनरिक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति की प्रति।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हरनौत।

FORM OF APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME

- (1) Name of work :- Construction & Five Year Maintenance "MR-N-19-
Harnaut/01" (Tender ID-75717)' Under 3054/
MR-Year 18-19
- (2) Name of Contractor :- Ram Prasad Singh
- (3) No. of agreement :- 22/MBD/2019-2020 Rs 5,26,32,47/-
- (4) Date of commencement of work :- 28-06-2019
- (5) Schedule date of completion of work :- 27-03-2020
- (6) Date of hindrance :-
- (7) Provisional extension date :-
- (8) Further extension of time required:- 30-06-2021
- (9) Reference of contractor's application if any :- Attached
- (10) If any defects have been found in the work date :- No
- (11) Reason :- Due to DPR Revise and rainy season.
- (12) Percentage of work done upto schedule completion of time :- 30%
- (13) Percentage of upto date work done :- 50%
- (14) Recommendation of J.E. :- Time of extension may be given
13/07/2020
- (15) Recommendation of A.E. :- Time extension may be given
14-7-2020
A.E.
- (16) Final order or recommendation of the E.E.:-

214 Ram Prasad Singh

Signature of Contractor

C/S

15-7-20

Signature of

Executive Engineer

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अचल, नालंदा



39

NO. 75 Date 28.09.2020
Certified that Sri
Who has been duly sworn
and affirmed that
the contents of the above
document are true
and correct
Authorised by 28.09.2020
of the Notaries Act 1956

समक्ष,

नोटरी पब्लिक

बिहार शरीफ, नालंदा

मैं राम प्रसाद सिंह पिता स्वर्गीय सूरजु सिंह ग्राम+पोस्ट - मुढ़ारी थाना- हरनौत जिला- नालंदा

राज्य- बिहार धर्म- हिंदू राष्ट्रीयता -भारतीय । शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूं कि :-

1. यह कि मैं उपरोक्त पते का स्थाई निवासी हूं।
2. यह कि मैं राम प्रसाद सिंह एक संवेदक हूं।
3. यह कि मैं 22/MBD/2019-20 (MR3054) योजना अन्तर्गत निम्न पथों का निर्माण कर रहा हूं :-
 - (I) Bodhnagar-Sandalpur RWD path to Dhimoy village
 - (II) Harnaut Saksohara NH-30A path to langdhora village via Mirdahachak
 - (III) Jaitipur-Harnaut Road (NH-30A) To Bedhana
 - (IV) Nagarnausa-cherо PWD path ke vejapati to sinduara village via chhiddi, jagatpur, jivanpur
 - (V) Rural Road of Cheran To Village Dihra
 - (VI) Bena Mubarakpur Road of Pachaura Madhyakari Corner To Pachaura Village
 - (VII) Chero Nagarnausa PMGSY To Hirdan Bigha
 - (VIII) Harnaut- Saksohara Road (NH-30A) To Alinagar

4. यह कि प्राक्कलन में संशोधन होने के कारण कार्य अवरुद्ध रहा एवं ससमय कार्य पूर्ण नहीं हो सका
5. यह कि मैं 30/06/2021 तक कार्य पूर्ण कर दूंगा ।
6. यह कि समय वृद्धि के स्वीकृति के उपरांत भुगतान के अलावा अन्य किसी प्रकार के बढ़े हुए दर का दावा नहीं करूंगा
7. यह कि ऊपर निमित्त गई सारी बातें सत्य एवं सही हैं ।

राम प्रसाद सिंह

शपथकर्ता का हस्ताक्षर



Authorised by 28.09.2020
of the Notaries Act 1956

GOVERNMENT OF BIHAR
e-Court Fee

GR 0004384756

DATE & TIME :

03-JUL-2020 12:10:47

NAMES OF THE ACC/ REGISTERED USER :

SRE INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED

LOCATION :

CIVIL COURT NALANDA

e-COURT RECEIPT NO :

BRCT0336G2050L963

e-COURT FEE AMOUNT :

₹ 90

(Rupees Ninety Only)



BRCT0336G2050L963

Statutory Alert : The authenticity of this e-Court fee receipt should be verified at www.shcilestamp.com. Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority. This receipt is valid only after verification & locking by the Court Official.

GST No.- 10CCMPS5887BIZF

Mob.- 9955432574
7979731116

RAM PRASAD SINGH

A Govt. Contractor and Order Supplier (All Bihar)

Murhari, Harnaut (Nalanda) 803110

21.2.20

Date : 21/01/2020

Ref. No.: 80

सेवा में,
कर्मपालक अभियन्ता
ग्रामीण कर्म विभाग
कर्मपालक, दरभंगा
विषय:- कार्य बिलम्ब के संबंध में।

प्रतिश्रुति!

उपरोक्त विषय के संबंध में बताया कि आपने विभाग द्वारा कर्म
आवर्ति कर्म 14/12/2019 को पत्र आ (8) पत्र है। जिसमें
सहायक अभियन्ता द्वारा 15/12/2019 को पत्र आ निरीक्षण/अभियन्ता को निरीक्षण
हीराण पाया गया कि जो पत्रों का प्राप्ति है उसमें कार्य करने संबंध में
और इसमें प्राप्ति पुनरीक्षण करने की जरूरत है लेकिन अभी तक पुनरीक्षण
प्राप्ति नहीं हुआ है।

कर्मपालक को निवेदन है कि उपरोक्त कार्य
को समाप्त करने के लिए जल्द ही पुनरीक्षण प्राप्ति करने की
कृपा की जाय ताकि कार्य सफलता पूर्वक हो सके।

राम प्रसाद सिंह

(प्रकारात्मक)

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हरनौत (नालन्दा)

पत्रांक 380/1430

हरनौत,

दिनांक 2.3.20

प्रेषक:- कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हरनौत।

सेवा में,
अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, नालन्दा।

विषय:- नई अनुरक्षण नीती 2018 के तहत 08 (आठ) अदद पथों के पुनरीक्षित प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नई अनुरक्षण नीती 2018 अंतर्गत कुल 08 (आठ) अदद पथों का पुनरीक्षित प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति हेतु तीन-तीन प्रतियों में समर्पित की जाती है, जो निम्न प्रकार है:-

क्र०सं०	प्रखंड	योजना का नाम	लम्बाई (कि०मी० में)	पूर्व में स्वीकृत तकनीकी स्वीकृति की राशि (लाख में)	पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	
1	हरनौत	जैतीपुर-हरनौत रोड (एन०एच०-30ए) से बेढ़ना।	0.950	31.931	42.843
2	हरनौत	वेना मुबारकपुर रोड के पचौरा मधुकरी कोना से पचौरा ग्राम।	2.450	82.928	93.065
3	हरनौत	हरनौत-सकसोहरा एन०एच०-30ए पथ से लघौरा ग्राम भाया भिरदाहाचक।	3.000	94.200	164.885
4	हरनौत	चेरो-नगरनौसा पी०एम०जी०एस०वाई० पथ से हिरदन विगहा।	0.300	16.165	15.51
5	हरनौत	ग्राम चेरन के आर०डब्ल्यू०डी० पथ से ग्राम डिहरा।	2.400	73.73	93.984
6	हरनौत	बोधनगर-संदलपुर आर०डब्ल्यू०डी० पथ से धिमोय ग्राम।	1.000	32.117	52.426
7	हरनौत	नगरनौसा-चेरो पी०डब्ल्यू०डी० पथ के वेजापती से सिन्दुआरा ग्राम भाया छिड्डी जगतपुर, जीवनपुर।	5.000	159.742	308.263
8	हरनौत	हरनौत-सकसोहरा रोड (एन०एच०-30ए) से अलीनगर।	0.880	37.05	37.953

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हरनौत।

(५)

मुख्य अभियंता-1 का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक- 11/प्र0-05-173/2020

पटना, दिनांक-

प्रेषक,

मुख्य अभियंता 1,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, नालन्दा।

विषय:-ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हरनौत के अधीन शीर्ष 3054 मरम्मत (बिहार ग्रामीण पथ नई
अनुरक्षण नीति-2018) योजनान्तर्गत स्वीकृत कुल 05 (पाँच) पथ का मरम्मत एवं पाँच वर्षीय
रख-रखाव कार्य के प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 504 अनु0 दिनांक 15.05.2020

महाशय

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कुल 05 (पाँच) पथ का प्राक्कलन पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान कर लौटाया जा रहा है। पथ का नाम, पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति की राशि पत्र के परिशिष्ट 'क' में अंकित है।

2. प्रशासनिक अनुमोदन का प्रसंग एवं राशि परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ क्रमशः 04 एवं 05 में अंकित है।
3. पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति अवर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक मु0अ0-04(मु0) 3054-04-71/2020-2067 अनु0 दिनांक 22.06.2020 के द्वारा प्राप्त है।
4. स्वीकृत प्राक्कलन की जाँच अधीक्षण अभियंता अपनी स्तर से भी कर लेंगे। यदि किसी प्रकार के सशोधन की आवश्यकता हो तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।
5. स्थल निरीक्षण के आधार पर सुनिश्चित किया जाय की प्रावैधानित पुल/पुलियों स्थल के आवश्यकता के अनुरूप है। स्थल के अनुरूप नहीं होने पर मुख्यालय को सूचित करेंगे।
6. अधीक्षण अभियंता, पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय को 5वीं तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
7. पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति को दरों की स्वीकृति नहीं समझी जाये।
8. अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, नालन्दा ऐसे मदों के दर जो अनुसूचित दर में नहीं है, दर विश्लेषण कर केन्द्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्य को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।
9. प्राक्कलन में स्थल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित लम्ब काट एवं आड़ी काट के चार्ट के आधार पर हुए मिट्टी की मात्रा की गणना की गयी है। लम्ब काट एवं आड़ी काट की स्थल जाँच आप स्वयं कर सूचित करेंगे कि वह स्थल के अनुरूप है।
10. सामग्रियों की ढुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात् वह कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा कदौरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर दोनों स्थिति की कैंरेज कोस्ट की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उसमें से न्यूनतम दर का प्रावधान कर हुए अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र अनुमोदित करेंगे।
11. पत्र के साथ प्रावैधिक टिप्पणी की प्रति संलग्न है।

परिशिष्ट 'क'

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हरनौत के अधीन शीर्ष 3054 मरम्मत (बिहार ग्रामीण पथ नई अनुरक्षण नीति-2018) योजनान्तर्गत पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति प्रदत्त योजनाओं की सूची

क्र० स०	पथ का नाम	पथ की लम्बाई (कि०मी० में)	प्रशासनिक अनुमोदन का प्रसंग	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य) (लाख में)	पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की राशि (निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य) (लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	Block-Harnaut, Harnaut-Saksohara NH-30A Path To Langhora Village Via Mirdahachak	3.000	Letter N0- 2067 Date- 22.06.2020	168.338	161.929
2	Block-Harnaut, Rural Road of Cheran To Village Dihara	2.400	Letter N0- 2067 Date- 22.06.2020	97.424	92.444
3	Block-Harnaut, Bodhnagar-Sandalpur R.W.D Path To Dhumoy Village	1.000	Letter N0- 2067 Date- 22.06.2020	53.706	51.506
4	Block-Harnaut, Nagarnausa-Chero PWD Path Ke Vejapati To Sinduara Village Via Chhiddi, Jagatpur, Jivanpur	5.000	Letter N0- 539 Date- 08.02.2019	313.55	302.533
5	Block-Harnaut, Jaitipur-Harnaut Road (NH- 30A) To Bedhana	0.950	Letter N0- 539 Date- 08.02.2019	44.345	42.113

अनु०-स्वीकृत प्राक्कलन की मूल प्रति।

विश्वासभाजन

ह०/-

मुख्य अभियंता-1

ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

ज्ञापाक:-

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

ह०/-

मुख्य अभियंता-1

ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

ज्ञापाक:- 3059

पटना, दिनांक:- 3/7/20

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हरनौत को सूचनार्थ एवं प्राक्कलन की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियंता-1

ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

18. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता कार्य आरम्भ करने से पूर्व सुनिश्चित करेंगे कि इस कार्य से विभीत भी तरह से 3054 मरम्मत (बिहार ग्रामीण पथ नई अनुरक्षण नीति-2018) योजना की मार्गदर्शिका ए इस संबंध में समय-समय निर्गत बिहार सरकार के निर्देशों का उल्लंघन न हो।
19. स्वीकृत कार्य के विरुद्ध अगर किसी तरह का कार्य अन्य एजेंसी के द्वारा कराया गया हो तो इसकी लागत कार्य की लागत से नियमानुकूल घटा ली जाये।
20. प्राक्कलन की विशिष्टि में परिवर्तन मुख्यालय की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाये।
21. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कार्य स्वीकृत राशि के अन्तर्गत समय-सीमा के अनुरूप हो।
22. मिट्टी कार्य कराने के पूर्व आश्चर्य हो लें की एच0एफ0एल0 वाढ स्तर के अनुरूप हो।
23. गुणवत्ता की जांच विभाग के द्वारा गुण नियंत्रण आई0आर0सी0 के विशेष प्रकाशन-11 के प्रावधान के अनुरूप किया जाये।
24. जिन कार्यों का दर अनुसूचित दर पुस्तिका में नहीं है उस स्थिति में केंद्रीय पदाधिकारियों द्वारा अंकित दर को मान लिया गया है, परन्तु ऐसे मदों के दर का दर विश्लेषण क्षेत्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्यों को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे, यदि आवश्यक हुआ हो तो संशोधनोपरांत प्राप्त करेंगे।
25. पूर्व में कराए गए कार्यों से प्राप्त सामग्रियों का लेखा में प्रविष्ट करते हुए सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत निर्माण में प्रयुक्त किया जाये।
26. मिट्टी एवं अन्य कार्य का भुगतान नियमानुसार सम्पादित कार्य के अनुसार किया जाये।
27. विशिष्टि के अनुरूप कार्य करने हेतु आवश्यक यंत्र-संयंत्र एवं उपकरणों की उपलब्धता की जांच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर प्रमाण-पत्र देगे।
28. प्राक्कलन में प्रयुक्त प्रावैधिक ऑकड़ों को स्थल निरीक्षण के आधार पर सम्पुष्ट करने के उपरांत ही का प्रारम्भ किया जाय, यदि इनमें भिन्नता पायी जाती है तो प्राक्कलन संशोधन हेतु प्रस्ताव तत्काल अधोहस्ताक्षरी को समर्पित किया जाए।
29. कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि इस कार्य में अन्य योजना/एजेंसी के द्वारा कार्य नहीं करा जा रहा है। तभी इस कार्य का क्रियान्वयन किया जाय।
30. उक्त परियोजना की तकनीकी अनुमोदन राज्य प्रावैधिक संस्थान द्वारा प्राक्कलन में किए गए प्रावधानों के अधीन रखा गया है।
31. कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लें कि निर्माण सामग्रियों (मेटल, चिप्स, बोल्टर इत्यादि) की दुलार निकटतम अनुमोदित खादान से ही देय होगी।
32. सामग्रियों की दुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात् वहाँ कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सडक मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर लें दोनों स्थिति की कैरेज कोस्ट की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उसमें से न्यूनतम दर का प्रावधान कर लें हुए अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र अनुमोदित करेंगे।

विश्वासभाजन

मुख्य अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, पटना

30

प्रावैधिक टिप्पणी

योजना का नाम:- परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 02 के अनुसार।

प्रशासनिक स्वीकृति:- परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 05 के अनुसार।

विवरणी

1. पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति की राशि परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 06 में अंकित राशि पर सीमित की गई है। योजना के कार्यान्वयन के क्रम में व्यय की राशि स्वीकृत प्रावैधिक की राशि से अधिक नहीं होगा।
2. प्राक्कलन की स्वीकृति से दरों की स्वीकृति कदापि नहीं समझा जाये।
3. निर्माण कार्य विभागीय की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
4. प्राक्कलन की भाषा संक्षिप्त और प्रतीकारत्मक मात्र है, यह अपने आप में पूर्ण नहीं है। अतः परिमाण विपत्र तैयार करते समय पूर्ण विशिष्टि लिखी जाये ताकि संवेदक किसी प्रकार का अनुचित लाभ न उठा सके।
5. कार्यान्वयन करने से पहले अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, नालन्दा की व्यवस्थापक जिम्मेवारी होगी कि वे स्वयं कार्य स्थल का निरीक्षण कर संतुष्ट हो लें, कि स्वीकृत प्राक्कलन में प्रस्तावित पथ एवं पुल/पुलिया हेतु जमीन एवं निर्माण सामग्री कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुरूप है, क्योंकि प्राप्त प्रस्ताव को अपर्याप्त जलीय आंकड़ा की अनुपलब्धता की स्थिति में अनुमोदित किया गया है। यदि इनके निरूपण/विस्तृत आरेखन की आवश्यकता समझते हों तो सक्षम प्राधिकार से इसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए तथा उनके प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसके स्थल चयन आकार-प्रकार की जिम्मेवारी पूरी तरह से अधीक्षण अभियंता की होगी।
6. प्रावैधिक स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत योजना के कार्यान्वयन में प्राथमिकता निम्न प्रकार से दी जायेगी:-
प्रस्तावित स्थलों पर पुल/पुलियों का निर्माण
अंतिम लेयर छोड़कर पथ बांध की मिट्टी कार्य
7. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व पथ के सतह की प्रोसेक्सन निगरानी विभाग के परिपत्र के अनुसार कर लेंगे।
8. पथ निर्माण, स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार ही कराया जाय।
9. मिट्टी की गणना की मात्रा एवं लागत सलान आड़ीकाट एवं लम्ब काट के आधार पर किया गया एवं आड़ीकाट में जमीन उपलब्ध है इसे मानते हुए गणना की गयी है जिसकी गणना विभाग से अधिकृत Consultant द्वारा की गई है एवं इसकी संपुष्टि प्रमंडल के पदाधिकारीयों द्वारा की गई है ऐसा मानकर स्वीकृति दी जा रही है। परन्तु अधीक्षण अभियंता स्थल जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे कि वह स्थल के अनुसार है अथवा अधोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र सूचित करेंगे।
10. मिट्टी कार्य, पुलिया कार्य में पथ बांध का स्लोप स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप रखा जाय तथा मिट्टी चपाई विशिष्टि के अनुरूप किया जाये।
11. निर्माण में व्यवहृत सामग्री एवं स्वीकृत मर्दों के कार्यान्वयन में Rural Roads Specification Rural Roads Manual (IRC SP:20) 72/62 की विशिष्टि का अनुशरण किया जाये।
12. मिट्टी कार्य पुलिया कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार पूर्ण होने के पश्चात अधीक्षण अभियंता स्वयं निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे, तत्पश्चात ही आगे कार्य कराने की स्वीकृति देंगे।
13. विभिन्न मर्दों की स्वीकृत परिमाण में कोई वृद्धि अनुमान्य सीमा से अधिक पूर्वानुमति के नहीं किया जाये।
14. पथों के निर्माण में कैम्बर, ग्रेडियंट Extra widening & Super elevation आदि पर पूर्ण ध्यान दिया जाये।
15. अधीक्षण अभियंता सामग्रीयों की दुलाई के संदर्भ में तारुणात्मक दूरी, परिमाण से आश्वस्त हो अन्य तदर्थ ही निविदा संबंधी कार्रवाई की जाये।
16. निविदा आमंत्रण, निष्पादन में विभागीय की मार्गदर्शिका एवं विभाग से निर्गत आदेशों का कठोरता से पालन किया जाये।
17. कार्य कितने ग्रुप में होगा, इसका अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

WORK PROGRAMME

NAME OF CONTRACTOR- RAMPRASAD SINGH

CONSTRUCTION OF ROAD FROM PACKAGE NO- MR-N-19-20-HARNAUT/01

क्रम संख्या	कार्य का नाम	28 Jun- 2019-20 to 27 March-2020	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21
1	Earth Work	प्राक्कलन में संशोधन एवं वर्षात के कारण कार्य बाधित															
2	GSB Grading-I																
3	WBM Gr-III																
4	PCC M30																
5	Premixing																
6	Sign Board																
7	Road Marking																

राम प्रसाद सिंह



मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रम

योजना का नाम - सकसोहरा रोड (NH-30A) से अलीनगर ।

पथ की लम्बाई - 0.880 कि.मी. विद्युत्तन्त्र पथान्त - 1110 कि.मी. पेंसर्ज, पथान्त - 110 कि.मी.

प्राकलित राशि - 029.41 लाख पथ साल तक रख-रखाव की राशि - 11.57 लाख

पुस्तिका - 1 नम कॉन्वे - पुन -

कार्य प्रारम्भ की तिथि - 28.06.2019 कार्य समाप्ति की तिथि - 27.03.2020

संवेदक का नाम - राम प्रसाद सिंह

कार्यकारी एजेंसी - कार्यपालक अभियंत, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल हजरतौल

अलीनगर

सकसोहरा रोड (NH-30A) से अलीनगर पथ
पथ की लं.-0.880 कि.मी.

सकसोहरा 15.00 कि.मी. ←

हरनौत 04.00 कि.मी.

कार्य प्रमंडल, हरनौत